प्रपत्र–3

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रुड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

(4) 13

संख्या–/309/III(3)/2020–32(सी.आर.एफ.)/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक 23अक्टूबर, 2020

विषयः– केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत "रूड़की–लक्सर–बालावाली राज्य मार्ग संख्या 26 के किमी0 1 से 19 तक पेव्ड शोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य" की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–फा.स. एन.एन.–28014/01/2014/यू.आर./सी.आर.एफ./एन.एच.–02(जोन–1) दिनांक 06.03.2019 एवं लोक निर्माण अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–335/III(3)/2019–01(सी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 08.03.2019 के कम में केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत "रूड़की–लक्सर–बालावाली राज्य मार्ग संख्या 26 के किमी0 3 से 20 तक पेव्ड शोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य" हेतु लोक निर्माण अनुभाग–03 के शासनादेश संख्या–97/III(3)/2020–32(सी.आर.एफ.)/2019 दिनांक 14.01.2020 द्वारा रू0 4988.64 लाख की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 499.00 लाख अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2– उक्त मार्ग के स्थलीय निरीक्षण में मार्ग का प्रारम्भिक भाग आर्मी एरिया में होने के कारण किमी0 3 से 20 के स्थान पर किमी0 1 से 19 तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य औचित्यपूर्ण पाये जाने के कारण नाम संशोधन हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 07.08.2020 के कम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या–28014/01/2014/UR/CRF/NH-II(Zone-I) दिनांक 20.03.2020 द्वारा उक्त कार्य को de-sanctioned करते हुए प्रस्ताव re-submit करने की अपेक्षा की गयी, जिसके कम में रू0 6692.34 लाख की डी0पी0आर0 भारत सरकार को प्रेषित की गयी।

3– उपरोक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या–NH-28014/01/2014-UR/CRF/Zone-I दिनांक 02.09.2020 में दिये गये निर्देशों तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में अवमुक्त धनराशि पूर्ण रूप से समर्पित किये जाने के फलस्वरूप "रूड़की–लक्सर–बालावाली राज्य मार्ग संख्या 26 के किमी0 1 से 19 तक पेव्ड शोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य" हेतु **रू0 6685.01 लाख (रू0 छियासठ करोड़ पचासी लाख एक हजार मात्र) (रू0 6652.11 लाख तकनीकी+रू0 32.90 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अधीन)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 1337.00 लाख (रू0 तेरह करोड़ सैंतीस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) विगत वित्तीय वर्ष 2019–20 में अवमुक्त उक्त धनराशि के सापेक्ष कोई भी धनराशि कोषागार से आहरित नहीं होने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(2) उक्त कार्य/योजनाओं पर धनराशि का व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (संशोधन) टैण्डर विषयक नियमों एवं ससंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम

Photo Copy Attested

3.2.2022

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0
देहरादून

14

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS
(Zone-1) Section
Transport Bhawan, 1, Parliament street, New Delhi - 110001

Dated: 2nd Sept, 2020

To

The Secretary,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat, 4, Subash Road,
Dehradun-248001 (Uttarakhand)

Sub:- Sanction of works under Central Road and Infrastructure Fund - Regarding.

Sir,

Please refer your letter nos. 645/111(3)/2020-12(CRF)/2019, 646/111(3)/2020-32(CRF)/2019, 647/111(3)/2020-28(CRF)/2019 dated 07.08.2020, submitting therewith the following three estimates for sanction under CRIF scheme.

S. N.	Name of work	Estimated cost (Rs. in Lakh)
1	Construction of 180m span RCC Box culvert over Shhetla River of km 2 on Lambarpur Langha road over Sheetla river	1182.12
2	Widening and Strengthening of Saraibedi motor road	3687.68
3	Widening with paved shoulder and Strengthening of Roorkee-laxer-Balawali motor road from km 3.00 to km 20.00 of SH-26	6692.34

2. In this regard, it is to inform that Ministry vide letter no. NH-28014/01/2014/UR/CRF/NH-II(Zone-I) dated 20.03.2020 (copy attached) de-sanctioned the following 3 works sanctioned during 2018-19 due to delay in according technical approval and financial sanction by the State Government.

S. N.	Name of work	Date of AA	Sanctioned cost (Rs. in Lakh)
1	Construction of Pre-stressed concrete bridge Of 180m span at 2km of Lambarpur Langha road over Sheetla River	20.02.2019	1293.64
2	Widening to 2-lane from sinlge/intermediate lane of Bhogpur-Raaysi of District Haridwar	06.03.2019	5163.49
3	Widening with paved shoulder and Strengthening of Roorkee-laxer-Balawali motor road from km 3.00 to km 20.00 of SH-26	06.03.2019	6692.48

3. It is observed that State Government has modified the specification and cost of the work at S.N. 1 in para 2 above and the work at S.N. 2 in para 1 above has

Photo Copy Attested
3.2.2022
अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

15

already been sanctioned by Ministry during 2018-19 and was not de-sanctioned the same. Though the de-sanctioned work at S.N. 3 in para 2 above has been requested for sanction as seen in para 1 above, the other de-sanctioned work at S.N. 2 of para 2 has not been requested for sanction, instead submitted a work which has already been sanctioned.

4. Further, Ministry vide letter dated 16.07.2020 (copy attached) has already accorded approval for extension of validity of the 33 works sanctioned during the year 2018-19 under CRF scheme to 31.10.2020 as requested by State Government, which includes all the three de-sanctioned works mentioned above. Accordingly, Ministry's letter dated 20.03.2020 stands withdrawn with change in cost and specification of work at S.N. 1.

4. Further, Government of Uttarakhand vide letter no. 340/III(3)/2020-01/(CRF)2010TC dated 22.06.2020 has requested Administrative and Financial approval of the following work under CRF scheme.

S. N.	Name of work	Sanctioned cost (Rs. in Lakh)
1	Strengthening of Garurchatti bridge to pipal koti from km 16.00 to km 28.00 of SH-09 in Janpad Paudi Gadwal	392.77

5. In this context, it is mentioned that sanction ceiling of Rs. 219 Crore is available for the State of Uttarakhand during the FY 2020-21. As per Para 6(1) of new CRIF guideliens issued vide Ministry's circular no. RW/NH-15017/46/2018-P&M dated 31.01.2020, "State Governments/ UTs shall **forward a list of identified projects alongwith details as per para sub para 3&4 of para 5** to MoRT&H for consideration of finalizing the same." Also, Para 6(2) stipulates that State Govts. / UTs shall accord Administrative Approval for such projects included in the list of projects finalized by MoRTH for the specified costs.

In view of above, it is requested to send the list of works in the order of priority within the sanction ceiling of Rs. 219 crore as per Ministry's latest guidelines dated 31.02.2020 for sanction under CRIF scheme during the current financial year 2020-21. Latest status of all sanctioned work may also be furnished. A copy of the same may also be furnished to this Ministry's Regional Officer at Dehradun

Yours faithfully,

Photo Copy Attested
3.2.2022
अधिशासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून

Encl.: As above.

(Riya Rathore)
Assistant Executive Engineer (Zone-I)
For Director General (RD) & Special Secretary

16

already been sanctioned by Ministry during 2018-19 and was not de-sanctioned the same. Though the de-sanctioned work at S.N. 3 in para 2 above has been requested for sanction as seen in para 1 above, the other de-sanctioned work at S.N. 2 of para 2 has not been requested for sanction, instead submitted a work which has already been sanctioned.

4. Further, Ministry vide letter dated 16.07.2020 (copy attached) has already accorded approval for extension of validity of the 33 works sanctioned during the year 2018-19 under CRF scheme to 31.10.2020 as requested by State Government, which includes all the three de-sanctioned works mentioned above. Accordingly, Ministry's letter dated 20.03.2020 stands withdrawn with change in cost and specification of work at S.N. 1.

4. Further, Government of Uttarakhand vide letter no. 340/III(3)/2020-01/(CRF)2010TC dated 22.06.2020 has requested Administrative and Financial approval of the following work under CRF scheme.

S. N.	Name of work	Sanctioned cost (Rs. in Lakh)
1	Strengthening of Garurchatti bridge to pipal koti from km 16.00 to km 28.00 of SH-09 in Janpad Paudi Gadwal	392.77

5. In this context, it is mentioned that sanction ceiling of Rs. 219 Crore is available for the State of Uttarakhand during the FY 2020-21. As per Para 6(1) of new CRIF guideliens issued vide Ministry's circular no. RW/NH-15017/46/2018-P&M dated 31.01.2020, "State Governments/ UTs shall **forward a list of identified projects alongwith details as per para sub para 3&4 of para 5** to MoRT&H for consideration of finalizing the same." Also, Para 6(2) stipulates that State Govts. / UTs shall accord Administrative Approval for such projects included in the list of projects finalized by MoRTH for the specified costs.

In view of above, it is requested to send the list of works in the order of priority within the sanction ceiling of Rs. 219 crore as per Ministry's latest guidelines dated 31.02.2020 for sanction under CRIF scheme during the current financial year 2020-21. Latest status of all sanctioned work may also be furnished. A copy of the same may also be furnished to this Ministry's Regional Officer at Dehradun

Photo copy Attested
3-2-2021
अधिशासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड लो०नि०
देहरादून

Yours faithfully,

Encl.: As above.

(Riya Rathore)
Assistant Executive Engineer (Zone-I)
For Director General (RD) & Special Secretary

17

File No.NH-28014/01/2014-UR/CRF/Zone-I

Copy to:

1. The Chief Engineer-Regional Officer, Ministry of Road Transport & Highways 46/1, Canal Road, Jakhan, Dehradun, Uttarakhand - 248 001.- your recommendations on the proposal of State Govt. for sanction of Works under new CRIF guidelines.
2. The Chief Engineer(NH), PWD, Uttarakhand.

Photo Copy Attested

3.2.2022

अधिशासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून

F.N. NH-28014/01/2014-UR/CRF/Zone-I
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS
(Zone-1) Section
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

To

Dated: 16 July, 2020

The Secretary,
Govt. of Uttrakhand,
Secretariat, 4, Subash Road,
Dehradun, Uttarakhand-248 001

Sub:- Extension of validity of works sanctioned during the year 2018-19 under CRF scheme.

Sir,

Please refer your letter no. 517/III(3)/2020-01/(CRF)2019 dated 18.06.2020, requesting therein extension of validity of 33 works amounting to Rs. 508.67 crore sanctioned vide this Ministry's letter no. NH-28014/01/2014-UR/CRF/Zone-I dated 20.02.2019 and dated 08.03.2019 during the year 2018-19 under CRF scheme.

2. In this context, it is to inform that the extension of validity of sanction to the above mentioned works upto 31.10.2020 as requested by State Government has been approved by competent authority in the Ministry.

Yours faithfully,

(Biju Patir)
Superintending Engineer
For Director General (Road Development) & Special Secretary

Copy to:

1. The Chief Engineer-Regional Officer, Ministry of Road Transport & Highways, 46/1, Canal Road, Jakhan, Dehradun, Uttarakhand-248001
2. Chief Engineer (NH), Public work department, Yamuna Colony, Dehradun, Uttarakhand-248 001.

Photo Copy Attested
3.2.2022

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

NH-28014/01/2014/UR/CRF/NH-II(Zone-I)
Government of India
Ministry of Road Transport &Highways
(Z-I Section)
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001

Dated:20.03.2020

To,

The Additional Chief secretary,
Government of Uttarakhand,
4 Subash Road,
Uttarakhand Secretariat,
Dehradun-248 001.

Sub: Amendment in the CRF works sanctioned in 2019.

Sir,

Please refer to letter No. 184/III(3)/2020-32(CRF)/2019, 184/III(3)/2020-32(CRF)/2019, 184/III(3)/2020-32(CRF)/2019 dated 03.02.2020 (copy enclosed) regarding the amendment in the following 3 already sanctioned works:

Sl. No.	Name of work	Date of AA	Amount of AA (Rs in lakh)
1	Widening with paved shoulder and strengthening of Roorkee- Laksar- Baalawali from km 3 to km 20 of State Highway No 26 under CRF	06.03.2019	6629.17
2	Widening to 2 lane from single /intermediate lane of Bhogpur- Raayasi of District Haridwar under CRF	06.03.2019	5066.55
3	Construction of Prestressed Concrete Bridge of 180.00 m span at 2.00 km of Lambarpur Langha road over Sheetla River.	20.02.2019	1293.64

2. The above proposals have been examined in the Ministry as per CRF (State Roads) Rules 2014 and the following observations are made:

2.1 It is observed that the administrative approval for the above works were accorded by Ministry vide letter dated 06.03.2019, 06.03.2019 and 20.02.2019. As per sub rule 4 of rule 7 of CRF (State Roads) Rules 2014, the executive agency shall ensure that individual project is technically approved, financially sanctioned within a period of four months from the date of administrative approval of the work failing which the work shall be deemed to have been de-sanctioned. However, it is observed that the above works were forwarded to State Government for technical approval and financial sanction by State Govt. only on September and November, 2019. Hence, as per sub rule 4 of rule 7 of CRF (State Roads) Rules 2014, the above works stand de-sanctioned. Further, as per sub rule 3 of Rule 7 CRF (State Roads) Rules 2014, the technical

Photo Copy Attested
3.7.2022
अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

P/c

20

and financial sanction of the work shall be accorded by the executive agency concerned and there shall not be any change in scope of work from those as per administrative approval.

3. In view of the above, the proposal is returned herewith unapproved as per sub rule 3&4 of rule 7 of CRF (State Roads) Rules 2014 with a request to re-submit the proposal duly following Ministry's guidelines issued vide circular no. RW/NH-15017/46/2018-P&M dated 31.01.2020 (Copy enclosed)

Yours faithfully,

Encl.: As above

(Anurag Gupta)
Assistant Executive Engineer
for Director General (Road Development) & SS

Photo Copy Attested
3.2.2012

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

(7)

(10)

21

फा.सं. एनएन--28014/01/2014/यू.आर./सी.आर.एफ./एनएच--2(जोन--1)
भारत सरकार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
(एन0एच0--2 अनुभाग)
नं. 1 परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली--110 001

सेवा में,

दिनांक: 6 मार्च, 2019

सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून--248 001

विषय: उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत 08 मार्गों को निर्माण कार्य केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृति के सम्बन्ध में।

(जॉब नं. सी.आर.एफ.--यू.आर--2018--19--29 से 36)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर माननीय सांसद महोदय के पत्र दिनांक 19.02.2018 द्वारा प्रेषित किये गए रुपए 22211.39 लाख के प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय सड़क निधि में उत्तराखण्ड सरकार के आबंटन के लिये देय कार्य की लागत पूरी करने के लिये लागू दर अनुसूची के आधार पर निम्नलिखित आठ कार्य जिनकी लागत रूपये 222.11 करोड़ (दो सौ बाईस करोड़ ग्यारह लाख केवल) है, के लिये राष्ट्रपति के प्रशासनिक अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	लागत (रू0 लाख में
1.	सरायबसेडी मोटर मार्ग का सुदृढीकरण एवं चौडीकरण का कार्य	3687.68
2.	रूडकी--लक्सर--बालावाली मार्ग राज्य मार्ग संख्या 26 के किमी0 03 से किमी0 20.00 तक पेव्ड शोल्डर से मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	6692.48
3.	भोगपुर--रायसी मार्ग का सिंगिल लेन/इण्टरमीडिएट लेन का 2 लेन चौडीकरण का कार्य	5163.49
4.	विधान सभा क्षेत्र खानपुर--दल्लावाला मोटर मार्ग सुदृढीकरण एवं सुधार का कार्य	1156.47
5.	पिरान कलियर--हद्दीवाला--गुनवास--मुजाहिदपुर--सतीवाला--कुडकावाला मोअर मार्ग का डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य	894.97
6.	मंगलौर -- देवबन्द मार्ग के सुदृढीकरण का कार्य	611.53
7.	पिरान कलियर से रामपुर चुंगी मण्डी से ग्राम नॉगल होते हुए पिरान कलियर तक बाईपास सडक एवं 300 मीटर स्पान सेतु का निर्माण	3498.32
8.	बजारेवाला--तेलपुरा--खेडी--शिकोहपुर मोटर मार्ग का डी0बी0एस0 एवं बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण का कार्य	506.45
	कुल योग	22211.39

Photo Copy Attested
3.2.2022
अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

(11)

22

(8)

फा.सं. एनएन–28014/01/2014/यू.आर./सी.आर.एफ./एनएच–2(जोन–1)

2. यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान किया जाता है:

2.1 (i) This sanction is subject to the condition that the liability of the Central Government with be limited to the CRF accrual for the State.

(ii) State Government or Union territory shall ensure taking up proper Maintenance and Repair (M&R) of the project roads after it is developed under this scheme.

(iii) State Government shall ensure availability of the entire unencumbered land needed for the project.

(iv) The estimate for each work shall include provisions for-

(a) an amount equal to three per centage towards contingency;

(b) an amount equal to one per cent. for meeting the cost of devising and operation of a Quality Assurance System and monitoring of the works by a State Quality Monitor, and training of the state's officials in quality awareness by the executing agency;

(c) an amount equal to one per cent. for meeting the cost of quality control, for monitoring of works and towards training, research and development by the Central Government;

(d) an amount equal to half per cent. towards work charged establishment.

(v) The agency charges shall not be payable for the execution of works under the scheme.

(vi) The estimates for land acquisition shall not be considered except for items referred to clause (iv) of sub-rule (1) of rule 6 of CRF state rules 2014 and the executive agency shall ensure to the effect that land is available for road development and is in its possession and removing of utilities, if any, has been completed.

2.2 यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान किया जाता है:

(i) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वास्तविक संभूमि (वर्तमान नीति के अनुसार वार्षिक रूप से राज्य को देय) से अधिक की अतिरिक्त निधियां राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से पूरी की जाएंगी।

(ii) निधियों की कमी की वजह से कार्यो की प्रगति और से पूरा करने में बाधा नहीं आएगी।

(iii) राज्य सरकार कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करेगी।

(iv) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 में उल्लिखित सभी शर्तों/दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाये।

Photo Copy Attested
3.2.2022

अधिशासी अभियन्ता

(v) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 6 के उपनियम (5)(xi) के अनुसार राज्य सरकार इन परियोजनाओं के विकसित किए जाने के पश्चात्, समुचित रखरखाव और मरम्मत करना सुनिश्चित करेंगें।

(vi) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 7 के उपनियम (3) के अनुसार इन कार्यों की तनीकी और वित्तीय मंजूरी संबंधित कार्यपालक अभिकरण द्वारा की जाएगी और कार्यों के प्रकार में उन कार्यों के प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार किए गए है।

(vii) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 7 के उपनियम (4) के अनुसार कार्यपालक अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि व्यष्टिक परियोजना को, कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर तकनीकी रूप से अनुमोदित और वित्तीय रूप से मंजूर कर दिया गया है जिसके असफल होने पर कार्य की मंजूरी को रद्द किया गया समझा जाएगा।

(viii) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 7 के उपनियम (5) के अनुसार उपनियम (3) में निर्दिष्ट कार्य की मंजूरी और मंजर किए गए संकर्मो के लगात प्राक्कलन के सार की प्रति केंद्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति के आवेदन के साथ अग्रेषित की जाएगी।

(ix) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 7 के उपनियम (7) के अनुसार प्रस्ताव के लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित रकम के दस प्रतिशत से परे कोई अधिक लागत अनुज्ञेय नहीं होगी और आधिक्य, यदि कोई है, तो उसका प्रबंध कार्यपालक अभिकरण द्वारा अपने स्वयं के साधनों से किया जाएगा।

(x) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 7 के उपनियम (8) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(xi) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 7 के उपनियम (10) के अनुसार प्रस्तावित किए जाने वाले संकर्मो के मानक डिजाइन और विनिर्देश, केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिदेशित सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धांतों, संहिताओं, भारतीय सड़क कांग्रेस विनिर्देशों के अनुसरण में होंगे और परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि चौबीस मास से अधिक तब तक नहीं होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात नहीं कर दी जाए।

(xii) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 7 के उपनियम (13) के अनुसार प्रत्येक कार्य के प्राक्कलप के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए उपलबंध होंगें–

(क) आकस्मिकता हेतु तीन प्रतिशत के बराबर रकम,

(ख) गुणता आश्वासन प्रणाली और किसी राज्य गुणता मानीटर द्वारा संकर्मो की मानीटरी और कार्यपालक अभिकरण द्वारा गुणता, जागरूकता में राज्य के पदधारियों के प्रशिक्षण की योजना बनाने और प्रचालन की लागत को पूरा करने के लिए एक प्रतिशत के बराबर रकम,

(ग) गुणता, नियंत्रण, संकर्मो की मानीटरी और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास के मद्दे लागत को पूरा करने के लिए एक प्रतिशत के बराबर रकम,

(घ) कार्य प्रभारित स्थापन के मद्दे आधे प्रतिशत के बराबर रकम,

Photo Copy Attested
3.2.2022
अधिशासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून

13

24

(xiii) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 7 के उपनियम (14) के अनुसार अभिकरण के प्रभार, स्कीम के अधीन संकर्मो के निष्पादन के लिए संदेय नहीं होंगे।

(xiv) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 7 के उपनियम (15) के अनुसार मंजूर किए गए संकर्म सामान्यतया नियम 6 के उपनियम (5) में निर्दिष्ट विशिष्टियों के साथ प्रस्तुत की गई समय अनुसूची के भीतर पूरे किए जाएंगे और कार्यपालक अभिकरण की ओर से किसी न्यायोचित्य कारण के बिना समय–सीमा का पालन करने में असफल रहने की दशा में, कार्यपालक अभिकरण, संकर्मो को पूरा करने की शेष लागत को वहन करने के दायित्वाधीन होगा परंतु केंद्रीय सरकार, कार्यपालक अभिकरण द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से संकर्मों को पूरा किए जाने की अवधि बढ़ा सकेगी।

(xv) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 8 के अनुसार यदि किसी मामले में केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा विकसित की गई सड़को की अपर्याप्त गुणता के बारे में शिकायत प्राप्त होती है तो केन्द्रीय सडक निधि के अधीन उन संकर्मो की, जिनके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई हैं, मंजूरी की रकम के बराबर निधियों को रोक दिया जाएगा।

(xvi) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 8 के अनुसार कार्यपालक अभिकरण, इन नियमों के साथ उपाबद्ध, प्ररूप 1 में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप 2 में त्रिमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा इन नियमों केसाथ उपाबद्ध प्ररूप 3 में मासिक व्यय रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा, जो गुणता मानीटरी प्रणाली मानीटरी प्रणाली के अधीन नियुक्त व्यक्ति से अनुपालन रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए निर्मोचित रकम के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रादेशिक अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित होगी।

(xvii) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 9 के उपनियम (1)(i) के अनुसार मापों की जांच लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके मैनुअल या संहिता में विनिर्दिष्ट विस्तार तक की जाएगी।

(xviii) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 9 के उपनियम (1)(ii) के अनुसार राज्य स्तर पर एक गुणता मानीटरी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें ऐसे विशेषज्ञ और सहायक कर्मचारिवृंद हो, जो यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाए,

(xix) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 9 के उपनियम (1)(iii) के अनुसार ऊपर मद (ii) में निर्दिष्ट गुणता मानीटरी प्रणाली से, अधिकारियों और ठेकेदारों के उत्तरदायित्व की अपेक्षाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए गुणता आश्वासन (क्यूए) प्रणाली की युक्ति निकाली जाएगी, स्वतंत्र जांच की जाएगी और स्थल अननुरूपता के गुणता आश्वासन प्रलेखीकरण की परीक्षा की जाएगी और उसका, लोक निर्माण विभाग कर्मचारिवृंद के प्रशिक्षण और प्रयोगशाला तथा क्षेत्र जांच सुविधाओं की सिफारिश करने का, उत्तरदायित्व होगा।

(xx) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 9 के उपनियम (3) के अनुसार वित्त पोषण हेतु निधि गुणता मानीटरी प्रणाली, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए आबंटन के स्तर पर ही निश्चित की जाएगी और नियम 7 के अनुसार कार्यपालक अभिकरणों और केन्द्रीय सरकार के निस्तारण पर रखी जाएगी।

Photo copy Attested
3.2.2022
अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

फा.सं. एनएन–28014/01/2014/यू.आर./सी.आर.एफ. /एनएच–2(जोन–1)

(xxi) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 9 के उपनियम (4) के अनुसार कार्यपालक अभिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार कार्य का नाम और अन्य ब्यौरे प्रदर्शित करते हुए परियोजनाओं के दोनों सिरों पर चिह्न लगाएगा।

(xxii) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार कार्यपालक अभिकरण, नियम 8 के उपनियम (1) खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट प्रगति रिपोर्ट, व्यय रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाणपत्र देगा।

(xxiii) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 10 के उपनियम (3) के अनुसार निधि के लेखों की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(xxiv) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसार भौतिक प्रगति के साथ ही व्यय का केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यपालक अभिकरण के साथ तिमाही आधार पर पुनर्विलोकन किया जाएगा और उस पर विचार–विमर्श किया जाएगा।

(xxv) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 10 के उपनियम (5) के अनुसार कार्यपालक अभिकरण, संकर्मों के पूरा होते ही और निश्चायक रूप से संकर्म के पूरा किए जाने की तारीख से तीस मास की अवधि के भीतर संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित पूर्णता रिपोर्ट या प्रमाणपत्र भेजेगा, जिसमें असफल होने पर संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए आगे कोई और संकर्म तक तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार को ऐसे पूर्ण किए गए संकर्मों की बाबत अपेक्षित पूर्णता रिपोर्ट या प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो जाता।

(xxvi) केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पास इस निधि के अधीन किसी अनुमोदित कार्य को अपवर्जित करने का प्राधिकार और अधिकार उस दशा में आरक्षित होगा यदि कार्यपालक अभिकरण इस अधिनियम के किसी उपबंध या अधिनियम के अधीन विरचित नियमों का पालन करने में असफल रहता है।

5. **यह व्यय मुख्य शीर्ष 3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान, 08–अन्य अंतरण/राज्य सड़कों के लिए अनुदान (उप मुख्य शीर्ष), 08.108–केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान (लघु शीर्ष), 01– राज्य सडकों के लिए अनुदान, 01.00.35–पूंजी परिसंपत्ति सृजन के लिए अनुदान के नामे डाला जाएगा जिसके लिए वर्ष 2018–19 के लिए संगत मांग संख्या 81 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है।**

संलग्नक यथोरि:

भवदीय

अ. शर्मा

(अनिल शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

Photo copy Attested
3.2.2022

अधिशासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून

(15) 26

फा.सं. एनएन–28014/01/2014/यूआर./सी.आर.एफ./एनएच–2(जोन–1)

प्रतिलिपि प्रेषित संलग्नक सहितः

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून–248 001

2. प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, आर्थिक एवं सेवाल मंत्रालय, ए.जी.सी.आर. बिल्डिंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

3. भुगतान एवं लेखा अधिकारी(रा.मा.), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आई.डी.ए. बिल्डिंग, जाम नगर हाऊस, नई दिल्ली

4. मुख्य अभियन्ता(रा.रा.), लोक निर्माण विभाग, गढवाल क्षेत्र, देहरादून–248 001

5. मुख्य अभियन्ता(रा.रा.), लोक निर्माण विभाग, कुमायू मंडल, हल्द्वानी,

6. मुख्य अभियन्ता – क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, 46/1, कैनाल रोड, जाखन, देहरादून–248 001।

अ. शर्मा
(अनिल शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

Photo Copy Attested
3.2.2022
अधिशासी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून